

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम -1948 से आवर्त 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय
मंहगाई भत्ता**

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 401/36-3-06-7(न्यू वे०)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 522 अंकों के ऊपर जुलाई 2010, से दिसम्बर 2010 के औसत 836 (आठ सौ छत्तीस मात्र) पर दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 30.09.2011 तथा जनवरी 2011 से जून 2011 के औसत 864 (आठ सौ चौसठ मात्र) पर दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है :-

दृष्टान्त :-रूपरें 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 864 पर दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

(864-522)

$$\frac{522}{2600} \times 2600 = \text{रु० 1703.45 प्रतिमाह}$$

522

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है :-

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी रु० में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपरें में
			दि० 01.04.2011 से दि० 30.09.2011 तक
			दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक
1	2	3	4
1	अकुशल	2600.00	1563.98
2	अर्द्ध कुशल	2964.00	1782.94
3	कुशल	3290.00	1979.04
			2155.52

नियोजनों के नाम :-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिष्ठान उद्योग
- वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला
- परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग
- पेट्रोल और डीजल आर्यल पम्प
- डेरी और मिल्क डेरी
- सिले सिलार्यें कपड़ों की विनिर्माणशाला
- बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों
- ढलाई घर
- धातु उद्योग
- टिन प्लेट शोर्पिंग और टिन प्रिंटिंग
- रसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग
- होजरी संकर्म
- निजी पुस्तकालय
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण
- धर्मशाला
- वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य बन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है,
- दुकान
- गणिज्य अधिष्ठान
- चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल

29. तैल मिल
30. लोक मोटर परिवहन
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने
35. दियासलाई उद्योग
36. आइसक्रीम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाला
37. चूर्ण विनिर्माणशाला
38. एरबेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला
39. लाप्पड़ी और घुलाई अधिष्ठान
40. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला
41. चिकन के कार्य
42. जिल्दसाजी
43. कोल्ड स्टोरेज
44. पाटरी, सिरैनिकस या रिफैक्ट्रीज
45. निजी मुद्रणालय
46. सिनेमा उद्योग
47. कपड़ा छपाई
48. सिलाई उद्योग
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी
50. जलब
51. हथकरघा (सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54. खाण्डसारी
55. हथकरघा उद्योग
56. शक्ति चालित करघा उद्योग
57. छोटा (मिनिएवर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग
59. ईट भट्ठा उद्योग

(विनोद शंकर मिश्र)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर ।

पत्र सं०- 3486-3510/प्रवर्तन०-11(न० भत्ता)

दिनांक 27, सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि :-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसंधान उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ ।
3. विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रमायुक्त, (नजारत) को नोटिस बोर्ड पर चरपों करने हेतु।
6. उप श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
7. उप श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. उप श्रमायुक्त (पुस्तकालय), मुख्यालय को सूचनार्थ/अभिलेखार्थ प्रेषित।
9. प्रचार अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(विनोद शंकर मिश्र)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।